an>

Title: Further discussion on resolution regarding construction of canals through Ken-Betwa river linking project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand region (Discussion not concluded).

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखंड में किसानों को समय से सिंचाई का पानी न मिलना, बेतवा-केन को मिलाने के संबंध में तथा अन्ना पशुओं द्वारा उत्पन्न स्थिति के संकल्प पर जो चर्चा चल रही थी, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह चर्चा 21 जून को प्रारंभ हुई थी, आज यह चर्चा कन्टीन्यु हो रही है ।

16.05 hrs (Shri Kudikunnil Suresh *in the Chair*)

मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में आज किसानों की जो दशा है, वहां रहने वाले लोगों की जो दशा है, वह निश्चित रूप से बहुत दयनीय है । अन्ना पशुओं द्वारा किसानों की फसल को बर्बाद किया जाता है । पूर्व सरकारों ने ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनाईं, जिसके कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अन्ना पशुओं पर लगाम लगाई जा सके ।

माननीय सभापति जी, हम कह सकते हैं कि वर्ष 2017 के चुनाव के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में लोकसभा के सदस्य आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी बने । उन्होंने किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं दीं । उन्हीं योजनाओं के कारण से उत्तर प्रदेश की जो दयनीय स्थिति है, उसमें बड़ी तेजी के साथ सुधार हो रहा है । सुधार होने में समय लगेगा, क्योंकि अगर ये योजनाएं 15 साल पूर्व से लागू की गई होती तो किसानों की फसलों को बर्बाद करने वाली अन्ना पशुओं के कारण जो स्थिति है, उससे परेशान न होते । यहां समय से सिंचाई के साधन न मिलने की वजह से किसान परेशान है । जब हम छोटे थे तब बजुर्गों से सुनते थे कि खेती हमारे लिए अच्छा साधन है । उस समय वे कहते थे - उत्तम खेती मध्यम

बान, नीच चाकरी भीख समान । तब खेती को उत्तम माना गया था, धंधे को द्वितीय माना गया था और नौकरी को एक भीख के समान माना गया था ।

माननीय सभापति जी, अब यह उलटा हो गया है । आज हम खेती को भीख के समान समझ रहे हैं और नौकरी उत्तम स्थिति पर पहुंच गई है । आज किसान, जिसके पास खेती है, जो खेत में खेती तो करता है, उसे उतना अन्न नहीं मिलता है जितने पैसे का बीज वह खेत में डालता है । हमने करीब से देखा है, हमने भी खेती की है । हम बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड में जब किसान खेती करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, जुताई करता है, बुराई करता है और सब करने के बाद जितना खर्च होता है, उसकी आधी फसल भी उसे प्राप्त नहीं होती है ।

हमें अच्छी तरह से याद है, एक बार मैंने छ: एकड़ खेत में खेती की थी । मसूर की खेती की थी, तीन क्विंटल बीज डाला था, खाद डाली थी, दवाई लगाई थी, समय से सब साधन किए थे । तीन क्विंटल बीज डाला था लेकिन, जब फसल काटकर खलिहान में लाए, उसकी मड़ाई की तो मात्र दो क्विंटल मसूर प्राप्त हुआ ।

किसानों को इतना सारा नुकसान होता है, इसलिए आज किसान खेती को छोड़कर नौकरी की तरफ भाग रहा है । विशेष रूप से हमारे बुदेलखंड क्षेत्र में किसानों के पास खेती तो बहुत है, लेकिन उसके पास वह साधन नहीं हैं जिनसे वह अच्छी ऊपज ले सकें और अच्छा खद्यान्न पैदा कर सकें । विशेष रूप से बुंदेलखंड की स्थिति में जो मानसून है, जो वर्षा की स्थिति है, वह भी ठीक नहीं है । पहले वर्षा के समय 55-60 दिन तक वर्षा होती थी । उस समय हम छोटे थे, तब इतनी वर्षा होती थी कि बूढ़े-पुराने लोग कहते थे कि इस बादल को हो क्या गया है? छोटे-छोटे मकान गिर जाते थे । बाहर जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए विवशताएं बन जाती थीं । उस समय शौचालय नहीं थे तो बाहर जाने में दिक्कत होती थी । आज वे बरसात के दिन, जो पहले 60 दिन तक बरसात होती थी, आज वह बरसात केवल 24 दिन तक सिमट गयी है । बरसात होती भी है तो हमारे यहां ऐसे साधन नहीं हैं, जिन साधनों के माध्यम से उस पानी को रोका जा

सके । पानी बरसता है, बरसने के बाद नदी-नालों में चला जाता है । नदियों के बाद सीधा समुद्र में चला जाता है । काश हम लोगों ने जो पूर्व में सरकार रही, उसने अगर बांध बनाकर इस पानी को रोकने का प्रयास किया होता तो शायद बुंदेलखंड के किसानों की दुर्गति न होती ।

माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 के पहले मैं 2014 में सांसद बन गया था । ढेर सारी योजनाएं केंद्र से प्रदेश में भेजी गयी थीं । एक हमारे रिश्तेदार जो गरीब किसान थे, उन्होंने आकर मुझसे कहा कि सांसद जी आप सॉइल कन्जर्वेशन विभाग में कह दीजिएगा कि हमारे खेत में जाकर बंधी बनाई जाए क्योंकि भू-संरक्षण विभाग द्वारा खेतों में बंधी बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं ।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please take your seat.

I have to inform the hon. Members that two hours have already been taken for discussion on this Resolution thus almost exhausting the time allotted. As there are seven Members more to take part in the discussion, the House has to extend the time for further discussion on the Resolution.

If the House agrees, the time for discussion on the Resolution may be extended by two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time for discussion on the Resolution is extended by two hours.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Another two hours' time is inadequate, Sir. For seven Members to speak, it will require at least three hours.

HON. CHAIRPERSON: We have already extended the time by two hours. If it is found insufficient, we will consider it then.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, this issue is of prime national importance. Interlinking of rivers, water scarcity, irrigation, wildlife and it has so many other issues. This is a subject which needs elaborate discussion. As the hon. leader Shri Adhir Ranjan Chowdhury has said, two hours will not be sufficient. Whether it is another four hours or six hours, you will adjourn the House at six o'clock. So, instead of extending the time again and again till we exhaust the list of the Members, the time could be extended by another four hours and then it can be considered again if there are more Members who want to speak. It is your discretion, Sir. Many Members would be there, and we have got such a bright and handsome Minister sitting here who wants to hear all the suggestions on this subject. So, my suggestion is, that extension be granted, as also suggested by Shri Adhir Ranjan Chowdhury, for maybe four hours to begin with.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Yes.

HON. CHAIRPERSON: We have already extended the time by two hours. If it needs to be further extended, we will consult at that time.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं विशेष रूप से बुन्देलखण्ड की उस स्थिति से इस सदन को अवगत करा रहा था । वर्ष 2000 के चुनाव के बाद उत्तरप्रदेश में ऐसी सरकार थी, जिसने बिल्कुल काम नहीं किया था । विशेष रूप से एक हमारे रिश्तेदार, जो खेती का काम करते थे, वे हमारे पास आए । भूमि संरक्षण विभाग खेतों पर समतलीकरण और उस पर बंध बनाने का काम करती है । उन्होंने कहा कि आप बी.एस.ए. से कह दीजिएगा कि एक बंधी बनाने का काम मुझे दे दें । मैंने बी.एस.ए. को फोन किया और कहा कि ये किसान हैं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और किसी के द्वारा इन्हें बंधी

बनाने का काम दे दिया जाए । यह कहने के बाद हम भी ये सारी चीजें भूल गए । समय आया-गया, हो गया अभी जब वर्ष 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय मैं विधायक के पक्ष में वोट मांगने गया तो उन रिश्तेदारों का यह कहना था कि सांसद जी, मैंने एक काम के लिए कहा था, वह भी काम आप नहीं करा पाए । मैंने कहा क्यों, मैंने तो बी.एस.ए. को बोला था कि आप काम करिए, आपने मुझे बताया नहीं ।

सभापति महोदय, आप सुनकर अचंभे में रह जाएंगे कि कुछ अधिकारियों ने उस किसान से जो थोड़ी बहुत ठेकेदारी करता था, कहा कि आप कमीशन के रूप में पहले 70 परसेंट पैसा जमा करा दीजिए । 30 परसेंट में बंधी का काम कीजिए, उसमें जो तुम बचा सकते हो, बचा लेना । मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 2017 के चुनाव की क्या स्थितियां थी बुन्देलखण्ड में । आज मैं कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार है । किसानों के लिए नई नई योजनाएं दी जा रही हैं । अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें समय लगेगा । यह अन्ना पशु प्रथा, आज भी किसान परेशान हैं । आज भी वह अगर कोई फसल बो देता है तो रात में उसका बेटा जाता है । अगर खाना खाने उसे आना है तो उसका पिता पहुंच जाता है । पिता और बेटे यदि घर आते हैं तो उनके परिवार की महिलाएं खेत पर पहुंच जाती है । तब कहीं जाकर वे खेतों को बचा पा रहे हैं, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार बनी उन्होंने इस विषय पर काम किया । उन्होंने नई-नई गौशालाएं बनाने का काम किया । यहां तक कि जो हमारी गायें, बछड़े फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों ने जिन गायों को छोड़ दिया है, वे एक किलो या दो किलो दूध दे रही हैं, किसान उन्हें अपने पास नहीं रख रहे हैं, प्रदेश की सरकार ने उसमें नया प्रयास तलाशा । उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इन गायों में जो सीमन डाला, उससे स्पष्ट हो गया कि 90 परसेंट तक उससे बछिया ही पैदा होगी और 90 परसेंट तक बछिया ही हो रही है, 10 परसेंट तक बछड़े हो रहे हैं । आज जो बछड़े हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्होंने उनको बधिया करके कम करने का प्रयास किया है । विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ढेर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है ।

हमारे बुन्देलखण्ड के लोग पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि खेती तो उनके पास ढेर सारी है, लेकिन उन्हें सिचांई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है । जब से देश स्वतंत्र हुआ है, हमारे बुंदेलखण्ड में एक भी नहर नहीं खोदी गई है । अगर नहर की क्षमता बढ़ाई जाए, पानी को रोका जाए, हमारे जो बांध हैं, उन बांधों में सिल्ट इतनी आ गई है कि अगर उनकी सफाई की जाए तो शायद उनमें ज्यादा से ज्यादा पानी भरा जा सके और किसानों को समय से पर्याप्त जल दिया जा सके ।

आज वहां के लोग बाहर जाकर रिक्शा चलाने को मजबूर हैं और किसी तरीके से अपने परिवार को लेकर जीवनयापन कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, जब हम लोग झांसी में पढ़ते थे, उस समय वहां एक सूती मिल भी लगी हुई थी । पता नहीं क्या परिस्थितियां बनीं, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगी हुई वह सूती मिल भी बन्द हो गई । उससे निकले हुए मजदूर भी आज इधर-उधर भटक रहे हैं, इधर-उधर काम कर रहे हैं और उनके पास सारी चीजें हो नहीं रही हैं ।

सभापति महोदय, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी ने यह संकल्प रखा है, इनका क्षेत्र महोबा है । महोबा में पान की खेती होती है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वहां पान की खेती से करीब दो करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता है । अगर उसे देखा जाए तो किसान बहुत अच्छा काम करते हैं । उससे पांच-छः करोड़ रुपये का निर्यात होता है । उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए । अगर उन पान की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो शायद उनकी आय और ज्यादा बढ़ेगी ।

हमारे यहां बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा, अगर दलहन में देखा जाए तो अरहर, मसूर आदि फसलें होती हैं ।...(व्यवधान) सभापति जी, यह प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है, इसमें बुन्देलखण्ड की जो स्थिति है, उन सारी चीजों को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि वहां के लोग बेहद परेशान हैं । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have already taken 15 minutes.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बुन्देलखण्ड में चम्बल, सिंध, पहुज, बेतवा, केन और धसान नदियां हैं । ...(व्यवधान) अगर उन नदियों के ऊपर चार-चार या पांच-पांच किलोमीटर के दायरे के अन्दर दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह मीटर ऊपर तक, जिस तरह से हमारी नहरों में रोक लगाई जाती थी, उसी तरीके से अगर रोक लगाई जाए तो बरसात का जो पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, वह पानी उसमें रुकेगा । आज हमारा जल स्तर बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा है, आज हमारे कुएं सूख गए हैं, आज हम देखते हैं कि अगर 100 हैण्डपम्प लगे हुए हैं, तो उनमें से मुश्किल से 15 या 20 हैण्डपम्प पानी दे रहे हैं, बाकी सभी हैण्डपम्प्स में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि हम उनमें बार-बार पाइप डालते हैं, लेकिन फिर वे नल पानी देना बन्द कर देते हैं । बुन्देलखण्ड का जल स्तर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है । इसका एक अन्य कारण भी है । हमारे यहां नदियों में से बालू बड़ी तेजी के साथ निकाली जाती है । जिन नदियों से ठेकेदार बालू निकालते हैं, उनका लेवल बहुत नीचे चला जाता है । जब उनके स्रोत नीचे चले जाते हैं तो दूर का पानी भी वे नदियों में खींच लेते हैं । यह भी एक कारण है । हमारे यहां बालू वगैरह बहुत तेजी के साथ निकाली जाती है तो आस-पास के जितने भी जल स्रोत होते हैं, पांच-दस किलोमीटर तक के जितने भी स्रोत होते हैं, उनका पानी खींच लेते हैं । वे नदियों में 15 फुट, 20 फुट या 30 फुट तक गहराई से बालू निकाल लेते हैं और उसके बाद पानी का समतलीकरण नीचे की ओर होता है, जल स्तर नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद आगे दस-दस किलोमीटर तक उससे जो जल स्रोत मिले होते हैं, उनका पानी सीधे उसमें चला जाता है, इससे वहां नल, कुएं, नाले आदि सारी चीजें सूख जाती हैं ।

सभापति महोदय, विशेष रूप से बुन्देलखण्ड में अगर किसानों को बचाना है तो सिंचाई के साधन उन्हें देने होंगे । सिंचाई के साधनों के बगैर किसान फसल कैसे बोए और अगर फसल बो भी देता है तो उतना अन्न ही नहीं मिलता है, उसे उतनी आमदनी होती ही नहीं है कि अपने परिवार का खर्च चला सके । वैसे अन्य जगहों की अपेक्षा बुन्देलखण्ड में जोत ज्यादा है । उत्तर प्रदेश में अगर कहीं जोत

2 हेक्टेअर है तो हमारे यहां बुन्देलखण्ड में यह 3 हेक्टेअर है । इसके बावजूद सिंचाई के साधन सही न होने के कारण किसानों को बेहद परेशानी हो रही है ।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारी केन्द्र की सरकार ने ढेर सारी नई योजनाएं पूरे देश के लिए दी हैं, उनमें बुन्देलखण्ड के किसानों को भी लाभ मिल रहा है । वहां प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना के तहत छ: हजार रुपये में से दो-दो हजार रुपये की किस्त मिलना प्रारंभ हो गयी है, उससे उन्हें थोड़ी-सी राहत मिली है । हमें अच्छी तरह से याद है कि वर्ष 2007-08 में जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था तो सूखे के समय किसानों को सहायता दी गई थी । जिन किसानों को सहायता दी गई थी, उनके साथ मजाक किया गया था । यह पता चला कि किसानों को जो चेक दिए गए थे, कोई पांच रुपये, कोई दस रुपये के थी तो कहीं सौ रुपये के दिए गए । उस समय जिन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया था, उनको बीमा का पैसा नहीं मिला था । उस बीमा के पैसे की यह दुर्गति हुई थी, उसे सुन कर आप दंग रह जाएंगे । इस योजना से वर्ष 2007 में किस तरह से मजाक किया गया था । किसान को बीमा का पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला । जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनके खाते बैंक में थे, वे किसान नहीं थे । उस समय सरकारी मशीनरी द्वारा किसानों के खाते में पैसे जाने चाहिए थे, लेकिन बच्चों के खाते में 35-35 हजार की तीन-तीन चेक लगा दी गई थी । हम लोगों ने उसकी जांच की मांग उठाई थी । एक तहसील, कोच में जांच हुई थी, उसमें पचास लाख रुपये का घोटाला पकड़ा गया था । उन बच्चों के खाते में पैसे डाल दिए गए । अधिकारियों ने उनसे एटीएम ले लिया और सारे पैसे निकाल लिए गए । जब हम लोगों ने जांच की मांग की तो उसकी जांच हुई । प्रशासन ने उन बच्चों के साथ सख्ती की । पढ़ने वाले बच्चों के पास पैसे कहा से आते, वे पैसे कहां से दें? वे घर छोड़ कर भाग गए । पुलिस-प्रशासन उनके पीछे लग गए । वे उनके पिता को उठा कर लाए, क्योंकि वह सरकारी पैसा था और वह उन्हें वापस चाहिए था । उस समय की सरकार को लग रहा था कि हमारी बेइज्जती हो रही है, अधिकारियों ने किस तरह से गलत काम कर दिया है । उनके परिवार के लोगों को उठा कर लाया गया और रात में कोतवाली में बैठाया गया । उनसे पैसे मंगाए गए और बैंक में जमा कराए गए । सरकार के

खाते में पैसे वापस लिए गए । बुंदेलखंड में ये स्थितियां होती थीं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि केन्द्र से जाने वाली जो सम्मान निधि है, वह किसानों के खातों में जा रही है ।

हमारे देश के प्रधान मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसी तरह वे आत्महत्या न करें, उन्हें आत्महत्या से बचाने के लिए 'प्रधान मंत्री फसल बीमे योजना' के माध्यम से किसानों को बचाने का काम किया है । इस योजना के माध्यम से अकेले बुंदेलखंड में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसानों को बचाने का काम किया गया है । यह बहुत अच्छी योजना है । यह एक ऐसी योजना है, जिससे किसानों को लगता है कि हमारी जो फसल बर्बाद हो जाती थी, हमारा पैसा लगता था, हम बीमा कराते थे । पहले किसानों से प्रीमियम का पूरा पैसा ले लिया जाता था और उसके बाद बीमा होता था । बेमौसम वर्षा या कहीं कुछ हो जाता था तो किसानों को बीमे का पैसा नहीं मिलता था और वह मिलता भी था तो लेखपाल चुन-चुन कर देता था, क्योंकि उस समय लेखपाल ही रिपोर्ट लगाते थे ।

उस समय 50 प्रतिशत नुकसान होने के बाद किसानों को बीमे का पैसा मिलता था । अगर लेखपाल चाहता था तो किसान को बीमे का पैसा मिलता था । अगर लेखपाल नहीं चाहता था तो किसान को बीमे का पैसा नहीं मिलता था, चाहे उसका 55-60 प्रतिशत नुकसान ही हुआ हो । लेखपाल रिपोर्ट लगाने जाता था और नुकसान देखने के बाद अगर किसी तरह से उस किसान ने उसे लाभ नहीं पहुंचाया तो 55 और 60 प्रतिशत नुकसान को घटा कर 45 प्रतिशत कर देता था । जिसने उसे थोड़ा-बहुत लाभ पहुंचा दिया तो उसके 40-45 प्रतिशत नुकसान को 55 प्रतिशत कर देता था । जिन किसानों को नुकसान होता था, वे सोचते थे कि हमें बीमे का पैसा मिलेगा । सरकार की एजेंसियां भी पैसे दिलाने में कोताही बरतती थीं, लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने उस नुकसान को 50 प्रतिशत से घटा कर 33 प्रतिशत कर दिया है ।

किसान का प्रीमियम पहले किसान क्रेडिट कार्ड से पूरा-पूरा काट लिया जाता था, अब रबी और खरीफ की फसल में मात्र डेढ़ या दो परसेंट प्रीमियम किसान से लिया जाता है और बकाया प्रीमियम का पैसा सरकार अपने खाते से

देती है । सरकार यदि अपने पैसे से प्रीमियम देती है, तो चिंता भी करती है । सरकार को लगता है कि मेरा पैसा है और किसान के लाभ के लिए हमने बीमा कराया है, तो सरकार कम्पनियों के ऊपर दबाव भी बनाती है । ये योजनाएं अब उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गई हैं । हमें याद है कि शायद सहारनपुर में कोई मीटिंग थी, उस समय देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने मंच पर खड़े हो कर कहा था कि कैसी उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने वर्ष 2016 में किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए फसल बीमा योजना तय की है, उसके लिए ये कम्पनियां ही तय नहीं कर पा रही हैं । जब केंद्र सरकार ने दबाव बनाया, तब ये योजना लागू की गई थी । आज इस योजना का लाभ हमारे बुंदेलखंड के किसानों को भी मिल रहा है । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे किसान कुछ खुशहाल तो हुए हैं, लेकिन सिंचाई के साधन न होने की वजह से आज भी वे परेशान हैं । विशेष रूप से हमारे किसानों की जो उपज है, उसका मूल्य सही नहीं मिल पाता था । श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चार लेन, छः लेन की सड़कें बनाकर किसानों को सीधा कानपुर, दिल्ली और अन्य जगहों से जोड़ने का काम किया था । आज ऐसे ही बहुत तेजी के साथ विकास के काम किए जा रहे हैं ।

सभापति जी, केंद्र सरकार द्वारा मेरे लोक सभा क्षेत्र बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है । पहले किसानों की जमीन मुश्किल से तीस-चालीस या पचास हजार रुपए प्रति बीघा बिकती थी, आज वहां डिफेंस कॉरिडोर घोषित होने के बाद हमारे किसानों के पास जो जमीन थी, उनमें से कुछ किसानों की जमीन डेढ़-दो करोड़ रुपये में बिक रही है । आज वहां किसानों की हालत अच्छी हो रही है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से गरौठा विधान सभा एरच का जो क्षेत्र है, उसमें 17 गांव लिए गए हैं । 17 गांवों के किसानों की जमीन ली गई है । वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन हमारे जो दूसरे भाग हैं, जो सात जिले हैं, गरौठा तो केवल एक विधान सभा क्षेत्र है, लेकिन बुंदेलखंड में 19 विधान सभाएं और हैं । उन क्षेत्रों के लिए किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है । डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, बाहर की कम्पनियां काम करेंगी, तो बुंदेलखंड के किसानों को वहां काम करने के लिए

मिलेगा और जब वहां से रोड निकलेगा तो निश्चित ही आस-पास फैक्टरियां लगेंगी और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी ।

महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है । बुंदेलखंड में जो चित्रकूट धाम है, वहां से जालौन और बुंदेलखंड से होते हुए सीधे कन्नौज में मिलाया जाएगा । उसमें बहुत सारे जिले बनेंगे । वहां किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है । किसान खुशहाल हो रहे हैं । वे किसान आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमें इतना पैसा मिल रहा है । जहां से रोड निकल रहे हैं, जहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहां लोगों को निश्चित लाभ मिल रहा है । लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बुंदेलखंड में सिंचाई के साधन नहीं होंगे, तब तक बुंदेलखंड का किसान अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर सकता है । किस तरह से वह अपने बच्चों की पढ़ाई कराएगा, कैसे अच्छी शिक्षा देगा और कैसे अपने परिवार का खर्च उठाएगा । यदि इन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अगर सही ढंग से पूर्व में हुआ होता, तो शायद हमारे किसानों की दयनीय स्थिति नहीं होती ।

इसलिए माननीय कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी के द्वारा जो केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का संकल्प लाया गया है, वह बहुत ही अच्छा संकल्प है । हम जानते हैं कि केन नदी से जैसे ही बेतवा नदी को जोड़ दिया जाएगा, तो इससे एमपी में जो बुंदेलखण्ड का भाग है, वहाँ तो इसका पानी जाता ही है, साथ ही जब यह झांसी जिले में आकर बेतवा नदी में मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में जालौन जनपद होते हुए अन्य जनपदों में भी जाएगी । बेतवा नदी जिन जनपदों के किनारे-किनारे जाती है, वहाँ के आसपास के किसानों को उसका लाभ मिलेगा ।

लेकिन मैं पुन: कहना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में नदियों-नालों और तालाबों में जो पानी आता है, वह बड़ी तेजी से समुद्र की ओर चला जाता है । इसे रोकने का काम किया जाना चाहिए । ऐसी योजनाएँ बनानी चाहिए, जिनसे यह पानी रुक सके । जब यह पानी नहीं रुकेगा, जब यह बहकर समुद्र में चला जाएगा, तो स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी ।

हमें बुंदेलखण्ड में नये-नये बांधों का निर्माण करना होगा । पहले भी हमने कहा कि जो बांध बने हैं, वे वर्षों से बने हुए हैं, उनकी सफाई नहीं हुई है । काश उनकी सफाई हुई होती, तो शायद हमारी जल भण्डारण की क्षमता और बढ़ गई होती । गुरसराय क्षेत्र में एक भसनेह बांध है, उसमें तो इतनी सिल्ट आ गई है कि उसमें पानी ही नहीं बनता है, सिर्फ सिल्ट ही सिल्ट बनी हुई है । अगर उसकी सिल्ट एक बार उठा दी जाए, उसकी मिट्टी उठाकर कहीं दूसरी जगह कर दी जाए, तो वह गहरा हो जाएगा और बरसात में पानी भरने की जो व्यवस्था है, जब वह उससे भर जाएगी, तो इससे गरौठा के आसपास के किसानों को पर्याप्त जल दिया जा सकता है ।

अन्य नदियों में भी जगह-जगह पानी को रोका जाए, गांवों में जो तालाब हैं, उन तालाबों का सीमांकन सही तरीके किया जाए । अभी-अभी गर्मी में कुछ तालाब भरे गये हैं । तालाबों को भरने के लिए नहर में पानी नहीं था । पता चला कि चार-पाँच गांव के बीच में एक तालाब को भरा गया है । जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है । पानी न मिलने के कारण बहुत-से जानवर मर गये ।

आज हम लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल है, अभी जब हम 21 तारीख को बोल रहे थे, तब तक जानकारी थी कि शायद किसानों को विद्युत कनेक्शन में सब्सिडी नहीं मिल रही है । आज जानकारी मिली है कि विद्युत कनेक्शन में उनको सब्सिडी देना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्राइवेट ट्यूबवेलों में और सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं, वे ऊबड़-खाबड़ जंगल टाइप के क्षेत्र हैं । वहाँ तेजी से समतलीकरण किया जाना चाहिए, जो भूमि-संरक्षण विभाग से होता है । भूमि-संरक्षण विभाग पर भी लगाम कसना चाहिए । जो योजनाएँ आती हैं, पता चला कि गांव सभा ने ही उस बंध को बना दिया है । इसके बाद पता चला कि भूमि-संरक्षण विभाग ने भी उसी बंध को बना दिया है । सरकार चाहती है कि उसका फोटो खींचकर दिया जाए । उसके चित्र लिये जाएं । उसकी फोटो तो ली जाती है, फोटो लेने के बाद, पाँच मीटर छोड़ने के बाद अगर दूसरी तरफ से फोटो लेंगे, तो

उसकी पिक्चर बदल जाएगी । उसकी दिशा बदल जाएगी । यह समझ में नहीं आएगा कि यह बंध पुराना वाला है या नया वाला है । इसलिए किसानों को खुशहाल करने के लिए इन सारी योजनाओं को लागू करना होगा ।

सभापति महोदय, यह संकल्प विशेष रूप से अच्छा संकल्प है । किसानों को हम अच्छी हालत में ला सकते हैं, उन्हें सम्पन्न बना सकते हैं, उन्हें खुशहाल बना सकते हैं । केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएँ तो अच्छी हैं, लेकिन उनमें समय लग रहा है । मैं आशा करता हूँ कि हमारी केन्द्र की सरकार निश्चित रूप से इस पर चिन्ता करेगी । वह बुंदेलखण्ड के किसानों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराएगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय सभापति जी, मैं चन्देल साहब को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । वे अपने रिजोल्यूशन में एक ऐसे विषय को लाए हैं, जिसके साथ सारे हिन्दुस्तान के लोग, खासकर हिन्दुस्तान के किसान, आम लोग गहनता से जुड़े होते हैं ।

आपने केन-बेतवा की बात कही है । साथ-साथ स्ट्रे-कैटल, गांवों में गाय और जो दूसरे जानवर घूमते रहते हैं, उसके चलते जो नुकसान होता है, खासकर उस दिन अपनी तक़रीर में आप पेश कर रहे थे कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए और उसकी शहादत को बचाने के लिए जैसे कारगिल में चौबीसों घंटे फौज की तैनाती होती है, उसी तरह गांवों में चौबीसों घंटे हमारे किसान अपनी जमीन पर पहरा देते हैं । यह आपने उस दिन अपनी तक़रीर में कहा था । इस विषय को मैंने बाद में पेपर में देखा, इसकी नैशनल न्यूज़पेपर में बड़ी आलोचना भी हुई है ।

16.41 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

चेयरमैन सर, रिवर लिंकिंग हमारे देश के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है । Inter-Linking of Rivers Programme is of national importance and has been taken up on high priority. A National Perspective Plan has been prepared by the Ministry of Water Resources. यह अब जल शक्ति मंत्रालय हो गया है । हमारे शेखावत साहब यहां आए हैं । Under this Programme, NWDA has already identified 14 links under the Himalayan rivers component and 16 links under the peninsular river component for inter-basin transfer of water based on field surveys, investigation and detailed study.

Ken-Betwa Link Project was declared as national project in the year 2009 which entailed 90:10 per cent share. जब यह तय हुआ था, तो केन्द्र की सरकार का 90 परसेंट और सूबों की सरकार का 10 परसेंट फंडिंग पैटर्न था । यह जो फंडिंग पैटर्न है, इसे अब बदला गया है । अब केन्द्र की सरकार कहती है कि वह 60 परसेंट फंड देगी और सूबे की सरकारें कहती हैं कि 40 परसेंट फंड देंगी । केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के फेज़-2 का डीपीआर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को जनवरी, 2014 में भेजा गया था ।

The DPR of Ken-Betwa Phase-II link was sent to States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in 2014. DPR of Ken-Betwa Link Project Phase-II including lower Orr dam and other barrages were proposed by the Government of Madhya Pradesh. Subsequently, the Bina Complex Project was added to it and two barrages, namely, Neemkheda and Barari were dropped. The DPR of Ken-Betwa Link Project Phase-II which now include lower Orr, Kotha barrage and Bina Complex Project is under technical appraisal in CWC.

चेयरमैन सर, हमारे देश में यह जो इंटर-लिंकिंग की भावना है, यह बहुत पुरानी भावना है । 160 वर्ष पहले, a British who regularly tussled with his

superiors and others visualised a grandiose project which is taking a concrete shape in the 21st century. Sir Arthur Cotton who worked in the Madras Presidency during the Raj period was passionate about irrigation and waterways. His critics say that his head was full of water which according to them explained his crazy ideas. For his admirers, largely Indians, he was Lord and King. Some of the plaques on thousands of his statues that line the river Godavari coast in South India read 'Apara Bhagiratha' (which means the divine king who brought down the river Ganga to Earth) as also Cotton Dora and Lord Cotton. It was Sir Cotton who built the dam that converted the Godavari region and Andhra Pradesh into the country's rice bowl. It was Sir Cotton who first envisaged the linking of various rivers in the North and South India.

His vision and what he wanted was the connection of various irrigation projects so as to complete the Steam Boat communication from Ludhiana by the Sutlej, Yamuna, Sone, Ganges, Mahananda, Godavari, Krishna Boat Canal and one from Nellore through Carnatic to Ponany so as to produce a point apposite to Aden at an almost nominal cost. That was the grand object. Hence his river linking scheme envisaged both irrigation and cheaper transport through waterways.

इसका मतलब यह है कि जो यह रिवर लिंकिंग है, इसके साथ-साथ हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, हम इसके साथ-साथ एन्वायरमेंट का भी रख-रखाव कर सकते हैं । सर, बात यह है कि इस इंटर-लिंकिंग को लेकर बहुत दिनों से हमारे पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई है । हमारे पार्लियामेंट की स्टैण्डिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज़ 2008-09 में हमें यह देखने का मिल रहा है कि The National Water Grid was earlier prepared by the then Central Water and Power Commission in 1972. Further, apart from CWC, this concept of Inter-

basin water transfer was also proposed by Dr. K.L. Rao in 1972 titled `National Water Grid' and later in 1977 as Garland Canal by Captain Dastur which attracted considerable attention. While Dr. Rao's proposal envisaged transfer of Ganga water to Cauvery through Ganga-Cauvery link, partially by lift and partially by gravity, the proposal of Captain Dastur sought to store water of all tributaries, rivulets in canals at a constant elevation and their utilisation through Himalayan and Central-Southern Garland Canal involving transfer of water in both the directions.

The NPP comprises two components – one Peninsular River Development and another Himalayan River Development. The NPP envisaged additional benefit of 25 million hectare of land irrigation from surface water and 10 million hectare of land by increased use of ground water which would ultimately raise the irrigation potential from the existing level of 140 million hectare of land to 170 million hectare of land and generate 34000 MW of power apart from the benefits of flood control, navigation, water supply, fisheries, salinity, pollution control etc.

The NCPMP of UPA Government in 2004 envisaged a comprehensive assessment of feasibility of the link starting with the Southern rivers in a fully consultative manner. Thereupon, five links, namely, Ken-Betwa, Parbati-Kalisindh-Chambal, Par-Tapi-Narmada, Damanganga-Pinjal and Godavari-Krishna were identified as priority links for bringing consensus amongst the concerned States to take up the work of preparation of DPR. However, one Memorandum of Understanding for Ken-Betwa link was signed and DPR of this link was likely to be completed by the end of 2008. This is what was stated then.

From the perusal of various links under the inter-linking of rivers programme it is observed that out of the 30 identified links, 14 links fall under Himalayan component. Of these, the Committee observed that, the initial reaches of seven water transfer links and their storage lie in the neighbouring countries of Nepal and Bhutan. In December 2002, in pursuance of a direction by the Supreme Court, the then Government constituted a Task Force under the leadership of an MP, Shri Prabhu. He did a stupendous and an outstanding job in preparing the plan of inter-linking of rivers. Now, there was a Standing Committee at that time which observed:

> "The Committee note that according to the present day constitutional division of subjects (which is a very pertinent matter) between the Union and the States, the subject 'water' falls both under the Union and the State Lists. It may be pointed out that while Entry 56 of the Union List in the Seventh Schedule in accordance to article 246 empowers the Central Government to make laws, to regulate and develop inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by the Parliament by law to be expedient in the public interest.
>
> Entry 17 of the State List of the Seventh Schedule empowers the State to make laws, to regulate and develop water for irrigation, etc. subject to the provision of Entry 56 of the Union List.
>
> Apart from the above, article 254(1) provides that inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States either in respect of subject on which Parliament is competent to enact laws or to any provision of existing laws on matters enumerated in the Concurrent List, then the law made by the Parliament shall prevail on the law made by the

Legislature of the State to that extent of repugnancy be void.

The Committee however are constrained to observe that Central Government has not so far made any laws under provision of Entry 56 of the Union List under the Seventh Schedule though there have been several instances of disputes among the States on the issue of water disregarding the verdict of tribunals resulting in avoidable delays especially in execution of projects.

Given this backdrop of things as existing, the Committee invited Memorandum from experts/individuals on the subject of interlinking of rivers wherein the Committee observed that a majority of individuals and experts have opined that the subject, 'water' either needs to be brought under the Concurrent List or the Union needs to enact laws under the previous provisions of Entry 56 of the Union List under the Seventh Schedule."

I am referring this issue because water belongs to the State List. So, I think, the hon. Minister would have been confronting various stumbling blocks before implementing his desired projects. Hence, acrimony has been started between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The intention is noble but the implementation is a difficult proposition.

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): What are your suggestions? The hon. Member is a very senior Member. I admire him always. वह शायद यह प्रपोज़ करेंगे कि वाटर को कनकरेंट लिस्ट में लाएं । मैं उनकी भूमिका से ऐसा समझ रहा था, कि अगर ये ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये इनके विचार हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हिन्दुस्तान के विकास के लिए, हिन्दुस्तान के आम लोगों की सुविधा के लिए लिस्ट में लिया जाना चाहिए, ताकि हिन्दुस्तान के आम लोगों के लिए अच्छा हो । सर, मैंने बहुत दिन पहले इस हाउस में यू.पी.ए.

सरकार को एक नसीहत दी थी कि- you should nationalise the rivers. The river does not belong to your jurisdiction. It is next to impossible for you to implement this kind of a project called Interlinking of Rivers. Inter-State river linking is a difficult task.…(*Interruptions*)

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: What you have referred earlier during your speech, they were all intra-State. एक ही स्टेट में सम्भव हुआ है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपको एक ही स्टेट तक सीमित नहीं रहना चाहिए ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : मैं आपको बता रहा हूं कि केवल एक ही स्टेट में हुआ है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: इसका कारण यह है कि सहमति नहीं बन पाती है । आपने तरीका बदल दिया है । अगर सभी स्टेट राजी हो जाते तो आप दूसरा तरीका अपनाते । आपकी करने की इच्छा है, लेकिन आपकी ऐसा करने की क्षमता नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए यह अदल-बदल होता है । अभी भी केन और बेतवा ये स्टेट की दो रिवर हैं । इसमें भी बहुत तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है ।

सर, बात यह है कि जब प्राइवेट मैम्बर्स बिल में चर्चा होती है तो कोई यह मानता है कि इंटरलिंकिंग होने से उनको फायदा होगा । Inter-linking could be a panacea for us. People could be saved from the onslaught of drought, flood, inundation, etc.

लेकिन इसके विरोध में भी बहुत से लोगों की राय है और ये कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हैं बड़े-बड़े लोगों की राय है । हमें किस तरफ जाना चाहिए इस बारे में हमें सोचना चाहिए । दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंटरलिंकिंग हुए हैं । सभी इंटरलिंकिंग का नतीजा अच्छा निकला है, ऐसा नहीं है ।

Shri C.P. Rajendran, Professor of Geodynamics at Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bengaluru – इनका यह कहना है – "There is no free surplus water in any river", क्योंकि लिंकिग का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि सरप्लस से डेफिसिट एरिया में पानी को हम ले जाएंगे । The traffic would go from surplus to deficit. लेकिन इनका कहना है – "The fact is there is no free or surplus water in any river. Simple arithmetic rationalisations like tapping the water lost to the sea do not take the eco-hydrological perspectives into consideration. The proponents fail to see the eco-service dimensions attached to such questions. It seems an honourable proposition, but is fundamentally flawed primarily because it will generate huge uncontrolled human-induced disequilibrium in the natural hydrographic systems and destroy associated ecological niches forever with incalculable repercussions for the long-term well-being of the society as a whole – an unpardonable disservice to future generations."

Then, what he suggested is this – "Rather than rely on questionable methodologies, alternate cost effective and ecologically sensible ways of water conservation need to be explored. For example, in the Ken-Betwa region, we still find vestiges of traditional ponds for water harvest."

उस दिन चंदेल साहब बोल रहे थे कि बुंदेलखंड में बड़े-बड़े तालाब हैं, राजाओं ने उन्हें बनवाया था । राजेन्द्रन जी भी वहीं कह रहे हैं – "Why not reinvigorate them? Such methods have met with reasonable success in many parts of Rajasthan and Maharashtra. Previous projects on river channelization elsewhere, particularly in the US, are proven failures. The canalization of Kissimmee river, authorised by the US Congress to mitigate flooding in Florida in 1954, turned out to be an environmental disaster."

17.00 hrs

> "It has now been realised that this damaged the river and also resulted in the loss of wetlands. Massive resources are being spent to bring the river back to its original configuration. Despite our spiritual reverence for rivers, we do nothing to protect them. The Indian rivers have become open sewers. The river inter-linking project will be the final nail in the coffin of dying rivers."

यह मैं नहीं, एक बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं । हमारे देश में पानी का जो संकट है, यह हमें हर रोज मालूम पड़ता है । दिन पर दिन हालत बड़ी गंभीर होती जा रही है । मैं चाहता हूं कि इस विषय पर इस सदन में हम सब चर्चा करें । यह कहा जाता है कि, two World Wars were fought on land. But the Third World War will certainly be fought on water. As we know, water is absolutely fundamental to life. It is difficult even to imagine a form of life that might exist without water. Happily, the Earth is virtually flooded with water. A total volume of 325 million cubic miles cover 71 per cent of the Earth's surface. About 97.5 per cent of this volume is the salt water of the oceans and seas. The remaining 2.5 per cent is fresh water. Water with a salt content of less than 0.1 per cent per 1,000 ppm is the water upon which most terrestrial ecosystem and humans depend. Of this 2.5 per cent, two-third is bound in the polar region and glaciers. Thus, only 0.77 per cent of all water is found in lakes, wetlands, rivers, ground water, soil and the atmosphere. Nevertheless, evaporation from the ocean combined with precipitation helps to resupply that small percentage continually.

So, fresh water is a continually renewable resource. हमारी सोच बदलनी चाहिए । Water should be treated as an asset. It cannot be a disposable item. अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो हमारे हिन्दुस्तान पर

एक बड़ा खतरा आने वाला है । About 60 to 70 per cent of India is vulnerable to drought. हिन्दुस्तान के आधे से भी ज्यादा हिस्से सूखे की चपेट में आ चुके हैं । हमारे हिन्दुस्तान में पांच मिलियन स्प्रिंग्स हैं । हिन्दुस्तान में इन पांच मिलियन में से तीन मिलियन हिमालय डिवीजन में हैं, लेकिन वह भी ड्राई होते जा रहे हैं । इस इकोलॉजिकल डीग्रेडेशन के चलते हमारी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है । हम जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 80 फीसदी से ज्यादा पीने का पानी हम ग्राउंड वाटर से लेते हैं । हमारा जो इरिगेशन है, उसमें 70 से 80 फीसदी पानी को हम ग्राउंड वाटर से लिया करते हैं । अगर हम इसी तरीके से पानी को इक्स्ट्रैक्ट करते रहें, तो हिन्दुस्तान में जल्दी ही वाटर फेमिन आने वाला है । Hindustan is destined to face water famine. We need to ensure regulation of ground water.

Sir, across India, there are five million springs. Mr. Minister, we need to ensure regulation of ground water and such regulation cannot happen through centralised mechanism, but through decentralised aquifer level, community-driven efforts etc.

The United Nations World Water Report, 2018 recommends nature-based solution for water. जब हम आज़ाद हुए थे, तब 1951 में हर व्यक्ति को वाटर प्राप्त होता था । The per capita availability of water in the year 1951 was 5,177 cubic metre.

सर, अभी देखिए कि यह सन् 2001 में घट कर यह 1820 क्यूबिक मीटर पर आ गया है । सन् 2011 में यह घट कर 1545 क्यूबिक मीटर आ गया । अभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सन् 2055 में यह फिर घटेगा और 1341 क्यूबिक मीटर हो जाएगा । सन् 2050 में 1140 क्यूबिक मीटर हो जाएगा । If less than 1700 cubic metre is available, then it is called `water stress condition'. हमें अगर 1700 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, तब कहा जाता है कि यह वॉटर स्टेज है । लेकिन अभी वॉटर लैवल 1545 तक आ गया है, मतलब वॉटर स्ट्रेस शुरू हो

गया है और जब एक हजार क्यूबिक मीटर के नीचे आ जाएंगे तब वॉटर स्कारसिटी होगी ।

सर, अगले साल हिंदुस्तान के 21 शहरों में पानी नहीं मिलेगा, 21 ऐसे शहर होंगे जहां पानी की कोई बूंद नहीं मिलेगी । यह स्थिति आप सोच लीजिए । सर, सिर्फ एक किलो गेहूं उगाने के लिए हमें 1654 लीटर्स पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है ।

सर, मैं आपको शेखावत साहब के मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए । India is suffering from the worst water crisis in its history and millions of lives and livelihood are under threat. Currently, 600 million Indians face high to extreme water stress and about 2 lakh people die every year due to inadequate access to safe water. The crisis is only going to get worse. By 2030, the country's water demand is projected to be twice the available supply, implying severe water scarcity for hundreds of millions of people and an eventual 6 per cent loss in the country's GDP. सर, यह मैं नहीं, बल्कि शेखावत साहब के मंत्रालय की रिपोर्ट बता रहा हूँ ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: चौधरी साहब, यह मेरे मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं है । For your knowledge, this document is from NITI Aayog which you are referring to. It is not based upon any scientific research. जो विभिन्न अखबारों में, अलग-अलग जगह जो छपा है, उसके बेसिस पर उन्होंने यह लिखा है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : लेकिन शेखावत जी, जैसा यहां लिखा है, एग्ज़िक्यूटिव समरी में लिखा है कि, as per the report of National Commission for Integrated Water Resources Development of Ministry of Water Resources:

> "The water requirement by 2050 in high use scenario is likely to be a milder 1180 BCM, whereas the present day availability is 695

BCM. The total availability of water possible in the country is still lower than this projected demand, at 1137 BCM. Thus, there is an immediate need to deepen our understanding of water resources and usages and put in place intervention that make our water use efficient and sustainable."

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : चौधरी जी, यहां तक ठीक है । इसके अलावा यह रिपोर्ट नीति आयोग की है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं यह अपनी तरफ से नहीं, जो डॉक्युमेंट मुझे मिला है, मैं उससे ही बात कर रहा हूँ । There is also an opportunity to improve Centre-State and inter-State cooperation across the broader water eco-system. Water management is currently viewed as a zero-sum game by States due to limited framework for inter-State and national management. Here, it is mentioned that 600 million people face high to extreme water stress. 75 per cent of households do not have drinking water on premise. 84 per cent rural households do not have piped water access. आपने हर घर में पाइप्ड वॉटर देने की बात कही है । लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह एक पाइप्ड ड्रीम है । पाइप्ड वॉटर देना ठीक है, लेकिन यह एक पाइप्ड ड्रीम है । 70 per cent of our water is contaminated. India is currently ranked 120 among 122 countries in the Water Quality Index. यह बड़ी भयंकर बात होती है ।

Droughts are becoming more frequent, creating severe problems for India's rain-dependent farmers. Fifty-three per cent of agriculture in India is rainfed. When water is available, it is likely to be contaminated up to 70 per cent of our water supply resulting in nearly, two lakh deaths each year.

Sir, UNESCO'S Report ahead of World Water day on 22nd March should serve as a wake-up call for every Indian. It highlights how India is staring at a deepening water crisis with few steps being taken to ameliorate this bleak situation. It predicts an intensified water crisis across the nation by 2050, with many parts of Central India battling a withdrawal of 40 per cent of the renewable surface water resources.

More than half of our rivers are heavily polluted. Contamination is no longer a problem with surface water alone but also with groundwater resources, which have been found to contain both metallic contamination and also contamination from improper disposal of human excreta.

The Central Pollution Control Board has doubled the number of polluted rivers from 121 to 275 in the last five years, blaming the huge quantities of untreated sewage being dumped into our rivers, for this state of affairs.

सर, यह रिपोर्ट सब के लिए है, आप सुन लीजिए ।

माननीय सभापति : मंत्री जी को दे दीजिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : पहले सचेत करते हैं, उसके बाद देते हैं । सर, हमने टाइम माँगा है । हम सब ने तय किया है कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ।

माननीय सभापति : और वक्ता बोल लेंगे ।

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, इन्हें बोलने दिया जाए ।

माननीय सभापति : ठीक है ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The CPCB collated monthly water quality analysis figures submitted by all State Pollution Control Boards between 2015 and 2016. The State Pollution Control Boards evaluated 275 rivers across 29 States through 1,275 monitoring stations on the basis of their biochemical oxygen demand -- the concentration of oxygen required for sustaining aquatic life – under the National Water Quality Monitoring Programme.

Hon. Minister, Sir, the Report found that while Maharashtra had 49 polluted river stretches including Mithi, Godavari, Bhima, Krishna, Ulhas, Tapi, Kundalika, Panchganga, Mula-Mutha, Pelhar, Penganga and Vaitarna, among others, Assam ranked second with 28 river stretches, Madhya Pradesh ranked third with 21 river stretches, Gujarat with 20 river stretches and West Bengal with 17 river stretches.

The situation is no better in the South where the quantum of water in the main rivers including the Godavari, Cauvery and Krishna is much reduced.

Two renowned water activists from Andhra Pradesh have pointed out: “In the Krishna river, there is no water beyond the Srisailam Dam, which means that for the last 140 kilometres, it remains largely a dry river. Similarly, the Cauvery is particularly dry beyond the Mettur Dam; and the situation is the same with the Godavari river after the Rajahmundry Dam.”

The scientists, who have helped put together the UNESCO Report warn that the situation with groundwater is equally dire. Shri S.K. Sarkar of TERI points out that groundwater depletion in Punjab, Haryana and Delhi, has become so severe that it carries the risk of salinity.

The situation has now frighteningly extended to Central India where fresh surface water resources have been depleted and groundwater is being accessed in larger quantities. So, these are very important issues.

Water expert physicist Prof. Vikram Soni of JNU is in agreement with the UNESCO Report pointing out that because we have loaded our rivers with untreated sewage from our cities, effluents from industries, and pesticides and fertilisers our rivers are neither *nirmal* nor *aviraal.* The only way out is to start treating all sewage in a decentralised manner at the colony level. It has been warned that we will have only half the water that we require by 2030. That is why, experts keep stressing on the need to redraw the agricultural map of the country and switch over to more efficient water practices including drip irrigation. One clear indicator of the strain is the annual *per capita* water availability.

Sir, India is facing severe drought conditions across several States that include Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Neither the Centre or the State Governments have come up with any long-term plan to tackle this situation.

It is ironic and tragic that over the centuries, India had developed an expertise to manage drought and had also developed an expertise on how to manage floods. Both are the same sides of one coin.

These traditional, community-driven and time-tested models on how to handle droughts as also our water resources, helped to ensure that our rivers, lakes, wetlands and other water bodies remained intact over the centuries but are being totally ignored today.

So, I would suggest to the Government that we should try the theory of back-to-basics. हमें अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए ।

सर, मैं जानता हूँ कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं ।

HON. CHAIRPERSON: I am not impatient. You may just conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूँ । हमारे चन्देल साहब ने आवारा पशुओं का एक और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया । आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं । हमारे गाँवों में कृषि के साथ-साथ पशुधन भी हमारा सहारा होता है । हमें यह सोचना चाहिए कि रिलिजन तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें बचने का भी साधन चाहिए । उस दिन चन्देल साहब कहते थे कि 7 लाख गाय एक झुंड की तरह गाँव-गाँव में आ जाती हैं । वे सिर्फ बुन्देलखंड के बारे में बता रहे थे कि वहाँ ऐसी हालत हो गई है । मेरा सवाल है कि हिन्दुस्तान में जो लाइवस्टाक की इकोनॉमी है, अगर हम उसे देखें तो 3 लाख करोड़ रुपये की हमारे हिन्दुस्तान में पशुधन और साथ-साथ लाइवस्टाक की इकोनॉमी है । इसमें से एक बड़ा हिस्सा हमारा पशुधन होता है और खासकर गाय होती है । ऐसी हालत हो गई है कि अब सरकार यह सोचती है कि बछड़ा पैदा न हो । हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं, क्योंकि हमने ट्रेड बंद कर दिया है । गाँव में ऐसा होता है कि मान लीजिए गाय बड़ी हो गई है, उसने दूध देना बंद कर दिया है, कोई गाय मेहनत करने में सफल नहीं हो रही है, तो किसान उस गाय को बेच देते हैं । उस गाय को बेचने के बाद वे एक नई गाय खरीदते हैं और उसे पालते हैं । अभी ट्रेड बंद हो गया है । अगर कहीं कोई गाय की ट्रेडिंग करे, तो उसके ऊपर हमला होता है । जो होता है, वह होता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, जो होते हैं, वे होते हैं । मान लीजिए कि पूरी ट्रेडिंग खत्म हो गई । ट्रेडिंग खत्म होने के बाद एक समय जिस गाय का पालन करना गाँव वालों के लिए सम्पदा था, आज वह उन पर भारी बन रही है । ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक गाय को एक महीने तक अपने घर में

बिठाकर खिलाना पड़े तो उसके लिए आपको 7,500 रुपये की जरूरत होती है । गाँव का आदमी यह पैसा कहाँ से लाएगा? वह खुद को तो खिला नहीं सकता है, खुद को वह खिला नहीं पा रहा है, गाय को कैसे खिलाएंगे, इस वजह से वे गाय को छोड़ देते हैं । ऐसा नहीं है कि वे गाय को प्रेम नहीं करते हैं । वे गाय को अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, अपनी संतान की तरह प्रेम करते हैं । उन्हें मजूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है । उसके बाद वह गाय दूसरे की खेती पर हमला करती है, क्योंकि वह भी भूखी, प्यासी रहती है । अब आप यह कहेंगे कि हमने शेल्टर बना दिए । हम इन शेल्टर का हिसाब आपको देते हैं, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा । In 2012, India had five million stray cattle roaming in the streets. तब तक गौ रक्षकों का इतना हमला नहीं हो रहा था, लेकिन आवारा पशु तो हैं ही और हैं तो हैं । That is before the current cycle of legislative action started. लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब बहुत सारे राज्यों में से बैन हो गए हैं । India also had an estimated 40 million cows and bulls aged above 12, that are at high risk of being abandoned.

इन्हें कब छोड़ दिया जाएगा, यह पता नहीं है, क्योंकि जब इनसे दूध नहीं मिलेगा, जब ये खेतों में काम नहीं कर पाते हैं तो ये बोझ बन जाते हैं और मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ता है । Various surveys say, India has 5000 cow shelters. Cow shelters बहुत हैं । उत्तर प्रदेश में हैं, बुंदेलखण्ड में भी हो सकते हैं । At 200 cows per shelter, that capacity would be barely one million. मान लीजिए कि एक-एक cow shelters में 200 गायें रहेंगी । अगर 5000 cow shelters होंगे तो आप एक मिलियन मतलब दस लाख गायें रख पाएंगे । Given the numbers, no easy solutions are possible. The ones being deployed today by Governments run on weak legs and little funds. अभी गाय की आबादी चार करोड़ है । इनकी भी उम्र बढ़ेगी । आज जो 5,000 cow shelters हैं, जहां दस लाख गाय रख सकते हैं । आप दस सालों के बाद तो उसमें नहीं रख सकेंगे । इसलिए इतने गायों को आप कहां रखेंगे? इसका कोई समाधान आपके पास नहीं है । इसलिए गांव-गांव में अन्य प्रथा चालू हो गयी है ।

मैं सरकार और मंत्री, सभी को यह कहूंगा कि आप थोड़ा रैशनल बनिए, क्योंकि आज मैकेनाइजेशन के कारण गांव-गांव में गायों की जरूरत कम पड़ रही है । इसलिए गायों के ऊपर निर्भरता भी अभी कम होने लगी है । इसके लिए हमें विकल्प सोचना चाहिए । बहुत-से cow clubs भी बने हैं । एक तरफ पानी की, दूसरी तरफ स्ट्रे कैटल, साथ-साथ हमारी कृषि, इन सब चीज़ों में एक संतुलन की जरूरत है । हम जानते हैं कि हमारे मिनिस्टर जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हर सरकार को जरूर कोशिश करनी चाहिए । लेकिन, जिस तरीके से पानी का संकट उभर रहा है और सारे हिन्दुस्तान में पानी के लिए जो त्राहि-त्राहि मच रही है, इससे बचने की क्षमता इन्सान की नहीं है । जब इन्सान की क्षमता नहीं है तो जो जानवर बोल नहीं सकते हैं, उन जानवरों की क्षमता क्या होगी? इसलिए गायों को छोड़ दिया जाता है ।

चन्देल साहब ने इन सारे विषयों को देखा है । इसके कारण वे चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले । मैं भी चन्देल साहब के साथ खड़ा होकर सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र एक कॉम्प्रीहैन्सिव प्लान बनाए, जिससे हमारे देश में हम सब ठीक रहें, हमारा पशुधन भी ठीक रहे, हम सब सही तरीके से जिएं, बढ़ें, यह हमारा लक्ष्य होगा ।

धन्यवाद ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी के द्वारा एक अत्यंत ज्वलन्त विषय, जो न केवल बुंदेलखण्ड की समस्या है, बल्कि जैसा अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा और इससे पूरा सदन सहमत है कि अगर हमने कहीं न कहीं जल संचयन नहीं किया तो पानी का संकट इस देश के समक्ष एक गम्भीर संकट बन जाएगा । अगर हमने आने वाले दिनों में इस संकट का समाधान नहीं किया तो यह एक ऐसी चुनौती बनेगी कि कदाचित यह समाज के लिए और हमारे-आपके लिए भयावह स्थिति बन जाएगी । मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का

चन्देल जी प्रतिनिधित्व करते हैं । भानु जी और हमारे बहुत सारे प्रतिनिधियों ने इसके बारे में विस्तार से बात की है । इस प्रस्ताव को या इस संकल्प को लाने के पीछे उनकी मंशा क्या है या उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यही है कि जब एक तरफ इस देश की आज़ादी के बाद क्षेत्रीय असंतुलन है और उस क्षेत्रीय असंतुलन के लिए हमारी सरकार के द्वारा या अतीत में केन्द्र की योजनाएं चलायी गयी हों या राज्य सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलायी गयी हों, उसके बावजूद भी जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे हम कैसे दूर कर सकें । इसके माध्यम से दो-तीन समस्याएँ उठायी गयी हैं कि आज पूरे बुंदेलखण्ड इलाके में, चाहे वह उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखण्ड हो, वहां पानी का जो जलस्तर गिर रहा है, वह भविष्य के लिए एक गम्भीर संकेत है ।

आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बुंदेलखंड के बारे में जैसी चर्चा की कि वहां कई ब्लॉकों में 300 से 400 फीट नीचे पानी चला गया है, उन क्षेत्रों को प्रशासन और शासन ने डार्क जोन घोषित कर दिया है । अब इंडिया मार्क टू हैंडपंप से पानी नहीं मिलता है । यह स्थिति पूर्वांचल में भी है, चाहे हमारा जनपद सिद्धार्थ नगर या बस्ती हो, ऐसे कई विकास खंडों को भी डार्क जोन घोषित कर दिया गया है । अगर पानी का स्तर निरंतर गिर रहा है तो आने वाले दिनों में हमारे लिए पेयजल का संकट होगा । आप कल्पना कीजिए कि हम जिस अन्ना प्रथा की बात कर रहे हैं, जब लोग अपने लिए पानी और अन्न का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तब स्वाभाविक है कि वे अपने पशुओं के लिए कहां से पानी तथा चारे का इंतजाम करेंगे । इसी कारण बुंदेलखंड में पलायन की जो स्थिति थी, उसका भी जिक्र किया गया है । कोई भी मज़बूर होकर अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है । सभी अपने गांव में अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनना चाहते हैं । उनके लिए संभव नहीं है कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़कर गांव से सुदूर अपने परिवार की रोजी-रोटी के लिए मेहनत और मशक्कत करें ।

बुंदेलखंड की धरती बुंदेलों की धरती रही है और आप जानते हैं कि इस बुंदेलखंड की धरती का इतिहास रहा है । मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय प्रदेश है । मध्य प्रदेश के पन्ना, छत्तरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, दमोह तथा भिंड जिलों की जो लहार है, ग्वालियर की भंडोर है या रायसेन, नरसिंहपुर, शिवुपर की

पिछोड़, करेरा तहसील गुना की, मुंगावली, अशोक नगर, विदिशा, करबई, बासौदा, होशंगाबाद, सुहागपुर, जबलपुर और पाटन हैं, इन 13 जिलों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, उसकी भी भौगोलिक पृष्ठभूमि वही है । इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भाषाई और सांस्कृतिक इकाई मानकर जो विभाजन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, उसमें झांसी, ललितपुर, जालोन, महोबा, बांदा, चित्रकूट तथा हमीरपुर हैं । बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का एक पठारी इलाका है । इस इलाके का जो नामकरण हुआ, एक रघुवंशी हेमकरन बुंदेला थे, उन्हीं के नाम से इस भूमि का नाम बुंदेलखंड हुआ । यह वीर भूमि कही जाती थी । यहां पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने भी एक बार मधुकर पत्रिका में 15 मई, 1941 को लिखा था कि शांति निकेतन का भी जो प्राकृतिक सौन्दर्य है, वह बुंदेलखंड की छटा के सामने पानी भरता है । आज जिस धरती से, महर्षि पराशर हों, वेद व्यास हों, कुम्भज हों, दनलक हों, लोमष हों, इन ऋषि-मुनियों की प्रगाढ़ स्थली रही है और पावन धरती रही है, वह तुलसीदास, केशवदास, भूषण, याज्ञनिक, बीरबल, लक्ष्मीबाई, छत्रसाल, हरदौल, आल्हा-ऊदल जैसी विभूतियों से जाना जाता है ।

आज हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं । अगर स्वाभाविक रूप से वहां लोगों के समक्ष पानी का संकट है, पानी के संकट के नाते लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं । अन्ना प्रथा, जो एक गंभीर संकट हो गया है, जिसके बारे में कई लोगों ने चर्चा की । यह स्वाभाविक है कि आज इसकी चर्चा हो रही है । इस वीर भूमि की चर्चा होती थी उस बुंदेलखंड के लिए, उसमें महाराज छत्रसाल का शौर्य, पराक्रम और वीरता की बात होती थी ।

“इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस

छत्रसाल सो लरंकी, रहूं न कहूं हौंस ।”

इसका मतलब एक-एक बच्चा जानता है । जब आल्हा ऊदल की बात होती है या छत्रसाल की बात होती है, तो छत्रसाल की पराक्रम तथा वीरता के आगे कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था ।

यह स्वाभाविक है कि आज इस संकल्प के माध्यम से हम सब लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं । निश्चित तौर से हम चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, अभी जो चर्चा हो रही है, आने वाले दिनों में बुंदेलखंड में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करने वाली है । हमारा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या देश के वैस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में सभी जगहों पर पानी का संकट हो रही है । इस संकट के कारण मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं प्रधान मंत्री की यह चिंता स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि यह समस्या कोई अचानक विद्यमान नहीं हुई है, बल्कि पानी का संकट वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है ।

मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बना कर एक निश्चय किया, संकल्प किया कि हम प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल, पीने का पानी देंगे । मैं समझता हूं कि यह किसी पहली सरकार की इच्छा शक्ति है, जो देश के प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाने का संकल्प ले रही है । आज हम एक प्रस्ताव के माध्यम से एक क्षेत्र के संकट की बात कर रहे हैं ।

सभापति जी, आप देख रहे होंगे कि भारत बहुत बड़ा देश है और विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है । यूनिटी इन डायवर्सिटी है । मुझे लगता है कि भाषाई रूप से, क्षेत्रफल रूप से, भौगोलिक रूप से बहुत अंतर है । शायद यह पहली बार संकल्पना होगी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम पूरे क्षेत्र के लोगों को देखें, तो कठिनाइयां एक जैसी हो सकती हैं । उनकी भाषा अलग हो सकती है, जबान अलग हो सकती है, फूड हैबिट अलग हो सकती है, लेकिन आवश्यकताएं लोगों की वही हैं । चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश के तमाम आदिवासी इलाके हों, उन आदिवासी इलाकों के घरों तक जहां कभी कल्पना नहीं की होगी कि उन गांवों में बिजली का पोल पहुंचे । हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि वर्ष 1947 की आजादी के इतने समय बाद कि हम घर में बिजली पहुंचाएंगे और सौभाग्य योजना के माध्यम से नि:शुल्क बिजली का कनेक्शन देंगे । मैं समझता हूं कि यह भी शायद पहली बार किसी सरकार की सोच थी । यह सोच क्या होगी? जिस क्षेत्रीय असंतुलन की बात कर रहा हूं या उस क्षेत्र के देश के उन आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, देश के जो 115 ऐसे

आकांक्षा जनपद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 8 जनपद हैं । सिद्धार्थनगर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो या देश के सभी राज्यों में ऐसे जनपद हैं । पहली बार नीति आयोग की ओर से प्रधान मंत्री के निर्देश पर जनपद चिह्नित किए गए । इन जनपदों में जो एक बेसिक पैरामीटर है - एजुकेशन का, हेल्थ का, इनफ्रास्ट्रक्चर का । आज भी आप कल्पना करिए कि इन 115 जनपदों में शायद बुनियादी शिक्षा का अभाव था । लोगों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए, बेसिक एलीमेंट्री एजुकेशन के लिए, माध्यमिक एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए तहसील स्तर पर जाना पड़ता था । आज उन गांवों में सभी को बुनियादी शिक्षा मिले । Directive Principles of State Policy के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 साल की उम्र तक के लिए हमने यहीं कानून पास किया था, आप भी उसके साझीदार है । Right to free and compulsory education, सबको मुफ्त बुनियादी शिक्षा और कम्पल्सरी शिक्षा दिला सकें, उस दिशा में भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं । निश्चित तौर से हर सरकारों के समक्ष इस तरह की चर्चाएं बहुत रही होंगी । चाहे शिक्षा की बात हो या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात हो, बुनियादी ढांचे की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, जब से यह सदन 1952 से है, इस सदन में जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुनकर आते रहे हैं, उन्होंने अपनी जवाबदेही और कर्तव्य का निश्चित रूप से निर्वहन किया है ।

देश की आजादी वर्ष 1947 में हुई । वर्ष 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार बनी । एक निश्चय किया गया, सबसे पहले निश्चय उन्होंने गांव का, घर का नहीं किया । पहले यह निश्चय किया कि देश के जो 18 हजार गांव बचे हुए हैं, चाहे वह नार्थ-ईस्ट के गांव हों, सिद्धार्थ नगर के हों, मेरठ का गांव हो, किठौर हो, जिन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची, ऐसे उन 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम योजना के माध्यम से पूरा करने का संकल्प लिया और पूरा किया । पहली बार हम पूरी दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हमने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया । उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया कि यह हमारा लक्ष्य नहीं था कि हम केवल गांव तक बिजली पहुंचाएंगे । गांव में बिजली पहुंचाने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि हम हर घर को बिजली देंगे ।

चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हो या ऊपर, शायद यह पहली बार होगा जब यह संकल्प किया गया, कोई किस कैटेगरी में है, सभी का हक बनता है । हम आज भी लालटेन या ढिबरी युग में न रहें, बल्कि सभी के बच्चों को बिजली या एलईडी के बल्ब में पढ़ने का मौका मिले । क्या हम कभी 'उज्ज्वला' की कल्पना कर सकते थे । झारखंड के आदिवासी इलाके में सड़क नहीं थी, जहां अस्पताल नहीं, जहां स्कूल नहीं । उनके घरों में ईंधन के लिए जंगल से अपने परिवार के लिए पूरा-पूरा दिन लकड़ी चुन कर खाना बनाने में लग जाता था, महिलाओं का एक ही काम था ।

आज बुंदेलखंड की महिलाओं के समक्ष अभी भी यही है । वे कहती हैं कि पानी लाने में उनका जीवन बीत जाता है, पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाती हैं और अपने घरों के लिए पेयजल का इंतजाम करती हैं । महिलाओं की हिम्मत और पुरुषार्थ है, महिलाएं घरों में शादी करके डोली में आती हैं और बुजुर्ग हो जाती हैं । आज जहां देश में लोगों के घरों में वॉटर सप्लाई है, घरों में टैप है और स्वच्छ पानी पी रहे हैं । क्या यह हक बुंदेलखंड के गांवों को नहीं है, यह हक पूर्वांचल या सिद्धार्थ नगर के गांवों का नहीं है?

आज इस पर चर्चा हो रही है । उससे पहले एक मंत्रालय भी बनाया । महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीति और कार्यक्रमों का एक रोडमैप होता है । उसमें स्पष्ट रोडमैप दिया कि हर घर तक पेयजल को टैप के माध्यम से पहुंचाएंगे । आज यह एक अधिकार होगा और संतोष का विषय होगा, लोग आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे । सरकार द्वारा कहा जाता था कि एक ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत है, जो आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त हो और गांव में लोग अभाव में रहें । आज उस असंतुलन को दूर करने की दिशा में सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं । सरकार ने निश्चित तौर से एक योजनाबद्ध ढंग से रूपरेखा बनाई है । उस रूपरेखा के बाद आज चाहे सौभाग्य योजना हो या आयुष्मान हो, आज उसकी भी चर्चा हुई । क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे कि दस करोड़ परिवार, देश की लगभग आधी आबादी पचास करोड़ लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो सरकार के एक्सचेकर से देश इम्पैनल्ड अस्पताल पांच लाख रुपये प्रति वर्ष तक इलाज करा सकते हैं, उस

परिवार कि जिन्दगी या किसी की सुहाग की रक्षा के लिए, किसी बेटे की जिन्दगी की सलामती के लिए सरकार अपने राजकोष से पांच लाख रुपये देगी । यह दर्द और कल्पना उसी की हो सकती है, जिसने इन चीजों को करीब से देखा हो या भोगा हो । वह निश्चित रूप से यह समझता होगा कि यदि भारत माता ने उसे यह अवसर दिया है तो हम आने वाले दिनों में देश में किसी को भी पैसे के अभाव या दवा के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे । इसके लिए मैं निश्चित रूप से सरकार को बधाई दूंगा । आज हम पेयजल संकट की बात करते हैं, उस संकट में कहीं न कहीं उन योजनाओं की बात होती हैं । आज चंदेल जी ने कहा, वहां पर पुराने राजाओं ने दस हजार तालाब बनवाए थे । आज लगातार पानी की कमी है या पानी नहीं हो रहा है, उसके कारण तालाब सूख जाते हैं । केन-बेतवा की लगातार बात उठ रही है, वह एक लाइफलाईन होगी । यह कल्पना अटल जी की सरकार की थी । सबसे बुनियादी चीज पानी था, उस पानी के लिए कहीं न कहीं यह सोच बनी । अगर एक जगह पानी नहीं है, हम उसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स से जोड़ें । जैसे केन-बेतवा प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा है । पिछले दिनों इसी सदन में गडकरी जी ने कहा, चाहे मोटरवरेज की बात हुई या लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात हुई, उस संबंध में भी उन्होंने काफी चर्चा की थी । मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, वे नौजवान हैं । आज मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा । आज वॉटर मैनेजमेंट वक्त की जरूरत है । हम पानी की कमी की चर्चा करते हैं । आखिर जब बरसात के दिनों में मानसून आता है, मानसून आ रहा है, मान लीजिए मानसून आने में विलंब हो गया ।

जब मानसून आएगा और बारिश शुरू होगी तो उस समय कम से 1475 किलोमीटर तक यानी उत्तराखंड के खटीमा से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता हुआ बिहार का रक्सौल, जो भारत और नेपाल की सीमा है, तक असर होता है । चाहे नेपाल की जलकुंडी, करनाली, बाढ़गंगा नदी हो या बिहार से मिलती हुई कोसी नदी हो, जब बारिश शुरू होती है, नेपाल में जो भी रिज़र्वायर बना रखा है, वह भर जाता है, वह उस रिज़र्वायर को खोल देते हैं । इसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह का जलप्लावन, किस तरह की बाढ़

की विभीषिका का सामना सिद्धार्थ नगर, देवरिया, श्रावस्ति, बलरामपुर, बहराइच और बिहार के कोसी नदी से मिले हुए जिले के लोग करते हैं ।

माननीय मोदी जी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपये बिहार को दिए, उत्तर प्रदेश के नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा दिया । हर साल बाढ़ नियत है, इसमें हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, लेकिन उस पानी का समुचित इस्तेमाल भी नहीं होता है । यह पानी नेपाल की फुटहिल्स में आता है, नेपाल के रिज़रवायर से, नेपाल की नदियों से पानी का वेग और प्रवाह आता है, उससे पूरे पूर्वी और पश्चिमी बिहार में बाढ़ की विभीषिका का सैलाब आता है । इससे बहुत जन-धन की क्षति होती है, घरों की क्षति होती है, लोग बह जाते हैं ।

आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, उस समय बाढ़ आई थी । वह एक-एक जिले में गए थे । पहली बार उन्होंने प्रयास किया । किसानों की जो फसल की क्षति हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों की फसलों की क्षति के बारे में कहा जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था । पहले था कि अगर 50 प्रतिशत फसल की क्षति होगी तो सरकार मुआवजा देगी । माननीय मोदी जी का सरकार में आने के बाद सबसे पहला फोकस उनका किसानों पर था । किसानों के लिए उनके मन में दर्द था क्योंकि किसान अपनी जिंदगी की कमाई लगा देता है खाद और यूरिया के लिए पैसा उधार लेता है, उधार से पम्पिंग सैट से खेत की सिंचाई कराता है । प्रधान मंत्री सम्मान निधि का वही कन्सेप्ट है, वही सोच है । किसान को 1000-2000 रुपये की यूरिया खरीदनी होती है या किसी को सिंचाई के लिए ट्यूबवैल या पम्पिंग सैट का पैसा देना होता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने पैसे से सिंचाई कर सके । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के जीवन में बुनियादी गुणात्मक परिवर्तन किया है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पानी से बहुत नुकसान होता है । योगी आदित्यनाथ जी ने खराब फसलों की क्षतिपूर्ति हर जनपद में की । उन्होंने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपये कर्ज भी माफ किया । हर साल जो बाढ़ आती है, बाढ़ नियत रहेगी अगर उस पानी का मैनेजमेंट नहीं हुआ तो हर

साल जन-धन की हानि होगी, क्षति होगी । बहुत दिनों से कई बार चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है । आप प्रयास करें, नेपाल सरकार से वार्ता करें ताकि भारत-नेपाल सरकार इन नदियों पर रिज़रवायर बनाए, बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए । यहां बहुत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकते हैं । आज भी हमारे देश में एक लाख मेगा वाट का पोटेंशियल है ।

अब हम रिन्युअल एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, थर्मल पावर, एनटीपीसी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर कभी कोयले का स्टॉक खत्म होगा या कम होगा...

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, कोरम नहीं है । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कोरम का विषय उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सामान्यत: यह प्राइवेट मैम्बर्स का समय रहता है, आप ही का विषय है । क्या आप इसके बाद भी कोरम का विषय उठाना चाहते हैं, तो उठा सकते हैं । यह आपका अधिकार है । उसके बाद जो परिणाम होगा फिर वही होगा ।

श्री भगवंत मान: अभी 10-15 माननीय सदस्य सुन रहे हैं, तो क्या कोरम पूरा हो गया? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री भगवंत मान: सभापति महोदय, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं । इधर वाले लोग कहां गए, कांग्रेस के लोग कहां हैं, टी.एम.सी. के लोग कहां हैं? मैं यह कह रहा हूं कि क्या कोरम पूरा है, क्या हमें वेट करना चाहिए? वे बहुत अच्छा बोल रहे हैं । मैं उनके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं ।

माननीय सभापति: घंटी बजाई जा रही है--

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा ।

…(व्यवधान)… *

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, सभा में गणपूर्ति नहीं है । इसलिए अब सभा सोमवार, 1 जुलाई, 2019 पूर्वाह्न 1100 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

17.56 hrs

-

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, July 1st 2019 / Ashadha 10, 1941 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded.

* Not recorded as ordered by the Chair.

* Not recorded

* Not recorded